भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1066
02.12.2024 को उत्तर के लिए

भारतीय तट रेखा पर समुद्री किनारों में परिवर्तन की राष्ट्रीय आकलन संबंधी रिपोर्ट

1066. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की तटरेखा की सुरक्षा के संबंध में भारतीय तट रेखा पर समुद्री किनारों में परिवर्तन की राष्ट्रीय आकलन संबंधी रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तटरेखा संरक्षण हेतु, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के तट के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) ने तटीय कर्नाटक का कोई अध्ययन शुरू किया है या करने का प्रस्ताव है अथवा स्थल विशिष्ट तटीय संरक्षण संरचनाओं के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश के पश्चिमी तट पर, विशेषकर तटीय कर्नाटक में समुद्री जीवों की प्रजातियों के लुप्त होने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने और मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ख): ''नेशनल एसेसमेन्ट ऑफ शोरलाइन चेन्जेस एलांग इन्डियन कोस्ट'' (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है जिसमें विश्लेषण के तरीकों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया होता है, परिणामों का विश्लेषण होता है और तटरेखा पर होने वाले परिवर्तनों और ऐसे परिवर्तनों की दर के बारे में जानकारी दी गयी होती है। यह रिपोर्ट क्षेत्र सर्वेक्षण डाटा के साथ-साथ बहु-स्पेक्ट्रल उपग्रह का प्रयोग करके सम्पूर्ण भारतीय तट क्षेत्र का किये जाने वाले उपग्रह आधारित तट रेखा परिवर्तन पर आधरित होती है। इस अध्ययन के अनुसार, लगभग 33.6% तट का क्षरण हो रहा है, 26.9% तट का संचय हो रहा है तथा 39.5% स्थिर अवस्था में है।

इस रिपोर्ट का उपयोग पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों के अनुसार तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार करने में किया गया है।

यह तटरेखा परिवर्तन विश्लेषण कर्नाटक के 313 किलोमीटर लंबे तट के लिए किया गया है और पाया गया है कि कर्नाटक का लगभग 50% तट स्थिर स्थिति में है, 26% और 24% तट क्रमशः अभिवृद्धि और अपरदन की स्थिति में है।

तटरेखा संरक्षण के उपाय देश भर में किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 अधिसूचित की है। हालांकि, तटीय विनियमों के तहत समुद्र तटों पर कटाव नियंत्रण उपायों को किए जाने की अनुमति है। अधिसूचना में भारत के समुद्र तटों को अतिक्रमण और कटाव से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के साथ क्रियाकलाप रहित क्षेत्र (एनडीज़ेड) का भी प्रावधान है।
- कर्नाटक सरकार ने सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों के अनुपालन में एक तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार की है। कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की 'के-शोर' परियोजना के तहत सहायता के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया है।

(ग) तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) कार्यकलापों में एकीकृत डाटा बैंक सहित संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में स्थल विशिष्ट तटीय सुरक्षा संरचनाओं की बेहतर वैज्ञानिक योजना, डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण के लिए विभिन्न अपतटीय और तटीय आंकड़ों का संग्रहण शामिल है। सीएमआईएस के तहत, लहर, धारा, ज्वार, निकटवर्ती और अपतटीय गांभीर्य, नदी धारा निर्वहन, पवन वेग, पवन दिशा, सापेक्ष आर्द्रता, तटरेखा मानचित्रण (उच्च ज्वार रेखा, निम्न ज्वार रेखा), समुद्र तट प्रोफाइल (क्रॉस-शोर प्रोफाइल), वर्षा, तापमान, निलंबित और समुद्री तलछट जैसे नौ पैरामीटर देखे जाते हैं। आंकड़ों के संग्रहण के लिए सीएमआईएस के अंतर्गत आठ स्थल निर्धारित किए गए हैं जो जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक परिपे्रक्ष्य और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से तटीय कटाव से निपटने के उपायों में सहायता प्रदान करते हैं। एकत्र किए गए आंकड़ों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार साझा किया जाता है। सीएमआईएस के अंतर्गत अनुमोदित स्कीम में तटीय सुरक्षा उपायों पर अध्ययन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) शैक्षणिक संस्थानों ने भारत में तटीय और समुद्री प्रजातियों तथा उनके पर्यावासों के संरक्षण पर समय-समय पर अध्ययन किए हैं। कर्नाटक राज्य सहित देश के पश्चिमी तट पर समुद्री जीवन

प्रजातियों के नुकसान की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है। हालाँकि, कर्नाटक के वन्यजीव विभाग ने समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. समुद्री प्रजातियों और उनके पर्यावास की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित स्टाफ सदस्यों की टीम के साथ कारवार और मंगलुरु में तटीय और समुद्री प्रकोष्ठ की स्थापना।
ii. स्थानीय मछुआरों, आम जनता, छात्र पुलिस, वन कर्मियों, तटरक्षक आदि, के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
iii. स्कूल/कॉलेज के छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य विभागों को शामिल करते हुए समुद्र तट सफाई अभियान।
iv. फंसे हुए पशुओं का बचाव एवं पुनर्वास।
v. समुद्री प्रजातियों का संरक्षण सख्त संरक्षण उपायों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।
vi. अरबियन हंपबैक व्हेल की प्रजाति पुनर्प्राप्ति पर अनुसंधान किया जा रहा है।
vii. ऑलिव रिडले कछुओं के लिए संरक्षण गतिविधियाँ प्रतिवर्ष चलायी जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में ऑलिव रिडले कछुओं की पहचान करने और उनके संरक्षण में सहयोग करने के लिए स्थानीय मछुआरों को प्रोत्साहन दिया जाता है।
viii. फंसे हुए समुद्री जीवन पर डेटाबेस तैयार किया गया है।
ix. समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए होन्नावर में समुद्री पार्क की स्थापना की गई है।
x. स्थानीय लोगों के लिए आजीविका सुधार गतिविधियाँ जैसे सीप की खेती, कीचड़ के केकड़े का पालन, हरी सीपी की खेती, आदि शुरू की जाती हैं।

*****